- वर्ष 2018 में राजफैड द्वारा सरसों के 230, चना के 196, गेहूं के 95 एवं लहसुन के 30 खरीद केन्द्र बनाकर की गई खरीद। सरसों की 4.71 लाख मैट्रिक टन एवं चना की 5.80 लाख मैट्रिक टन खरीद कर 3,93,021 किसानों को उपज का दिलाया वाजिब दाम।
- वर्ष 2018 में बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत लहसुन की रिकार्ड खरीद की गई। 25,024 किसानों से 295.02 करोड़ रुपये मूल्य का 90 हजार 602 मैट्रिक टन से अधिक का लहसुन खरीदा गया।
- पहली बार ऑनलाइन पंजीयन कर की गई खरीद। किसान को निर्धारित दिवस को अपनी उपज तुलाई की मिली सुविधा, कई दिनों तक कतार में लगने से मिली मुक्ति।
- किसान के बैंक खाते में उपज की राशि की जा रही है ट्रांसफर, किसान को राशि के जोखिम से मिली निजात।

कृषि उपज रहन ऋण योजना

- बाजार में कृषि उपज का दाम कम होने एवं वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु कृषि उपज को सहकारी गोदामों में नोमिनल किराये पर रखने की सुविधा प्रारम्भ ।
- किसानों को कृषि उपज को रहन रखकर मात्र 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर लघु अवधि के लिये ऋण उपलब्ध।

#DIPRRajasthan

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं मैसर्स हरिहर प्रिन्टर्स, जयपुर द्वारा मुद्रित – सितम्बर, 2018/प्रतियां 20,000

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

राजस्थान फसली ऋण माफी योजना

सहकारिता से किसान कल्याण

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की बजट घोषणा वर्ष 2018–19 की पालना में प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले किसानों के 50 हजार रुपये तक के ऋण माफी के लिए 'राजस्थान फसली ऋण माफी योजना–2018' लागू की गई है। किसान हित में इस ऐतिहासिक एवं साहसिक निर्णय से राज्य के इतिहास में पहली बार बड़ी संख्या में किसानों का ऋण माफ किया गया है। इस निर्णय से किसान एवं उनके परिवारों को सम्बल मिला है।

ऋण माफी का साहसिक निर्णय

- जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के अल्पकालीन फसली ऋण से जुड़े सभी किसानों को ऋण माफी का लाभ।
- लघु एवं सीमान्त किसानों के 30 सितम्बर, 2017 को ओवरड्यू ऋण पर बकाया ब्याज एवं शास्ति को किया माफ। लघु एवं सीमान्त किसानों के 30 सितम्बर, 2017 को बकाया ब्याज मुक्त फसली ऋण में से 50 हजार रुपये तक की राशि एकबारीय माफ।
- अन्य किसानों के 30 सितम्बर, 2017 को बकाया ब्याज मुक्त फसली ऋण में से 50 हजार रुपये तक की राशि लघु कृषक जोत के अनुपात में एकबारीय माफ।
- 29 लाख से अधिक किसानों को मिल रहा है राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018 का लाभ। इस योजना के तहत किसानों को लगभग 8 हजार करोड़ रुपये की ऋण माफी दी गई है।
- राज्य के 12 जिलों में 300 करोड़ रुपये से लेकर 574 करोड़ रुपये तक का ऋण माफ किया गया है। 8 जिलों में 200 से 300 करोड़ रुपये तक का तथा शेष जिलों में 70 से 200 करोड़ रुपये तक का ऋण माफ किया गया है।
- 19 लाख 24 हजार 102 किसानों को 5461 करोड़ रुपये के ऋण माफी प्रमाण–पत्र वितरित

किए। शेष पात्र किसान 31 अक्टूबर तक लाभान्वित होगें।

- वर्ष 2018-19 के खरीफ फसली चक्र के लिए 4 सितम्बर, 2018 तक किसानों को 7 हजार 823 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित हो चुका है।

संकटग्रस्त किसानों के लिए स्थाई समाधान

- किसानों को ऋण राहत एवं समाधान के लिये स्थायी संस्थान 'राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग' के गठन का फैसला लिया है।
- संकट की घड़ी में किसान रखेगा आयोग के सामने अपना पक्ष।
- जिससे ऋणी किसान को गुणावगुण के आधार पर शीघ्र मिलेगी राहत।

ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण में राजस्थान अग्रणी

- सरकार के अब तक के कार्यकाल में किसानों को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण का किया वितरण। राजस्थान देश में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण में अग्रणी।
- प्रति वर्ष औसतन 25 लाख किसानों को मिल रहा है इसका फायदा।
- पहली बार लगभग 4 लाख नये किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना से जोड़ा गया।
- किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिये अब तक 1490.28 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने किए वहन, इस वर्ष किया 544 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- इस वर्ष लगभग 25 लाख किसानों को हो रहा है 16 हजार करोड़ रुपये का फसली ऋण का वितरण।

सामाजिक एवं ऋण सुरक्षा की अभिनव योजना

- राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी रूप से अंग-भंग होने पर किसान परिवार को 10 लाख रुपये तक का बीमा लाभ।
- राज्य सरकार के कार्यकाल में बीमा लाभ राशि में 20 गुणा वृद्धि कर इसे 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है।
- इस योजना के तहत 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु के ऐसे सभी किसान पात्र हैं जिन्होंने सहकारी बैंकों से अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त किया है।
- योजना के तहत दुर्घटना में आंख, कान, हाथ और पैर में से कोई एक अंग स्थाई रूप से भंग होने पर 5 लाख रुपये तथा दो अंग स्थाई रूप से भंग होने पर या मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये का बीमा लाभ दिया जाता है।
- राज सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 79 वर्ष तक की आयु के किसान की प्राकृतिक मृत्यु होने की स्थिति में 10 लाख रुपये तक के ऋणों का चुकारा करने से मुक्ति।
- गत साढ़े चार वर्षों में दोनों योजनाओं में 52 हजार 59 किसानों को 319.78 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम मिला है।

ब्याज दर को किया कम

- जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा राज सहकार किसान कल्याण योजना के तहत किसानों की कृषि साख की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर को 11 प्रतिशत से घटाकर किया मात्र 9 प्रतिशत।

उपज का दिलाया वाजिब दाम

- राज्य के लाखों किसानों से समर्थन मूल्य एवं बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत फसलों की खरीद की गई एवं किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिला।
- प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा कृषि कार्यों यथा - डेयरी, स्प्रिंकलर, ट्रेक्टर, भूमि समतलीकरण, बाड़बन्दी, पम्पसेट के लिए वितरित ऋणों पर 7 प्रतिशत अनुदान देकर ब्याज दर को 12.50 प्रतिशत से घटाकर 5.50 प्रतिशत किया। योजना का लाभ समय पर ऋण का चुकारा करने पर मिलेगा।
- वर्तमान सरकार ने साढ़े चार वर्षों में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से रिकार्ड 12 हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कृषि उपज की खरीद कर बनाया रिकार्ड।
- राजफैड एवं तिलम संघ द्वारा गेहूं, चना, सरसों, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, लहसुन एवं मसूर की 38 लाख 90 हजार मैट्रिक टन से अधिक की खरीद की गई।